

# न्यायालय समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, नवादा।

(उत्पाद विभाग)

## आम नीलामी सूचना


एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नवादा जिलान्तर्गत विभिन्न थाना काण्डों/उत्पाद वादों में निम्न वाहनों का बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के सुसंगत प्रावधानों के तहत अधिहरित किया गया है। इन वाहनों का सत्यापन एवं मुल्यांकन मोटरयान निरीक्षक द्वारा किया गया है। इन वाहनों की आम नीलामी (Public Auction) दिनांक 28.11.2017 को समाहरणालय, नवादा स्थित सभागार में 11:00 बजे पूर्वाह्न में की जायेगी।

क्र०	अधिहरण वाद सं०	थाना काण्ड सं०/उत्पाद वाद सं०	वाहन का प्रकार	वाहन का निबंधन संख्या	वाहन का स्थल	वाहन का न्यूनतम मूल्य (रुपया में)	अग्रघन की राशि (10 %) (रु० में)
1	43(M)/2017	नरहट थाना काण्ड सं०-167/2016	पल्सर (मोटर साईकिल)	BR27B/5950	नरहट थाना	40000/- (चालीस हजार)	4000/- (चार हजार)
2	336(M)/2017	गोविन्दपुर थाना काण्ड सं०-21/2017	BOLERO SLX	JH01W/2662	गोविन्दपुर थाना	325000/- (तीन लाख पचीस हजार)	32500/- (बतीस हजार पांच सौ)
3	337(M)/2017	हिसुआ थाना काण्ड सं०-48/2017	APACHI (मोटर साईकिल)	NO NUMBER	हिसुआ थाना	40000/- (चालीस हजार)	4000/- (चार हजार)
4	41(M)/2017	नगर थाना काण्ड सं०-723/2016	BOLERO MEX	BR32GA/1589	नगर थाना	400000/- (चार लाख)	40000/- (चालीस हजार)
5	07(M)/2017	कौआकोल थाना काण्ड सं०-107/2016	PASSION PRO (मोटर साईकिल)	BR21F/7827	कौआकोल थाना	35000/- (पैंतीस हजार)	3500/- (तीन हजार पांच सौ)
6	128(M)/2017	पकरीवरावां थाना काण्ड सं०-36/2017	HONDA (मोटर साईकिल)	BR27H/9427	पकरीवरावां थाना	40000/- (चालीस हजार)	4000/- (चार हजार)
7	108(M)/2016	रोह थाना काण्ड सं०-27/2016	GLAMOR (मोटर साईकिल)	BR21M/5888	रोह थाना	35000/- (पैंतीस हजार)	3500/- (तीन हजार पांच सौ)
8	62(M)/2017	नगर थाना काण्ड सं०-728/2016	BOLERO	JH04C/4850	नगर थाना	385000/- (तीन लाख पचासी हजार)	38500/- (अड़तीस हजार पांच सौ)
9	62(M)/2017	नगर थाना काण्ड सं०-728/2016	MARSHAL	JH01E/8661	नगर थाना	300000/- (तीन लाख)	30000/- (तीस हजार)
10	10(M)/2017	कौआकोल थाना काण्ड सं०-118/2016	SPLENDER (मोटर साईकिल)	BR27D/9412	कौआकोल थाना	30000/- (तीस हजार)	3000/- (तीन हजार)
11	22(M)/2017	रजौली थाना काण्ड सं०-225/2016	INDICA (मोटर साईकिल)	BRO1AS/6899	रजौली थाना	300000/- (तीन लाख)	30000/- (तीस हजार)
12	124(M)/2017	रजौली थाना काण्ड सं०-334/2016	(मोटर साईकिल)	JH12G/8541	रजौली थाना	30000/- (तीस हजार)	3000/- (तीन हजार)
13	124(M)/2017	रजौली थाना काण्ड सं०-334/2016	(मोटर साईकिल)	JH12F/8730	रजौली थाना	35000/- (पैंतीस हजार)	3500/- (तीन हजार पांच सौ)
14	176(M)/2016	अकबरपुर थाना काण्ड सं०-140/2016	BOLERO	BR29E/5819	अकबरपुर थाना	225000/- (दो लाख पचीस हजार)	22500/- (बाईस हजार पांच सौ)
15	40(M)/2017	रोह थाना काण्ड सं०-73/2016	TOVERA RIONE	JH10Y/6201	रोह थाना	165000/- (एक लाख पैंसठ हजार)	16500/- (सोलह हजार पांच सौ)
16	60(M)/2017	रजौली थाना काण्ड सं०-170/2016	SCORPIO	DD03C/0118	रजौली थाना	465000/- (चार लाख पैंसठ हजार)	46500/- (छियाली हजार पांच सौ)
17	80(M)/2016	समेकित जॉच चौकी, रजौली पी०आर० नं०-25	SCORPIO CRDe	BR1AG/9266	मद्य भण्डार नवादा	425000/- (चार लाख पचीस हजार)	42500/- (बयालीस हजार पांच सौ)
18	121(M)/2016	समेकित जॉच चौकी, रजौली पी०आर० नं०-06	PASSION PRO (मोटर साईकिल)	JH11N/1449	मद्य भण्डार नवादा	30000/- (तीस हजार)	3000/- (तीन हजार)
19	112(M)/2016	समेकित जॉच चौकी, रजौली पी०आर० नं०-40	WAGON R	DL5CD/4502	मद्य भण्डार नवादा	250000/- (दो लाख पचास हजार)	25000/- (पचीस हजार)
20	372(M)/2017	समेकित जॉच चौकी, रजौली पी०आर० नं०-31	XUV 500	BR01PF/3741	मद्य भण्डार नवादा	1050000/- (दस लाख पचास हजार)	105000/- (एक लाख पचास हजार)
21	110(M)/2017	समेकित जॉच चौकी, रजौली पी०आर० नं०-12	HYUNDAI (VERNA-SX)	JH01AM/7722	मद्य भण्डार नवादा	950000/- (नौ लाख पचास हजार)	95000/- (पनचाने हजार)
22	83(M)/2016	च०दल, नवादा पी०आर० नं०-17	SPLENDER (मोटर साईकिल)	JH12F/6730	मद्य भण्डार नवादा	30000/- (तीस हजार)	3000/- (तीन हजार)
23	323(M)/2017	रजौली थाना काण्ड सं०-10/2017	TUV	JH01B/3225	रजौली थाना	650000/- (छः लाख पचास हजार)	65000/- (पैंसठ हजार)


24	114(M)/2016	च०दल, नवादा पी०आर० नं०-38	INDICA	BR01CS/2005	मद्य भण्डार नवादा	450000/- (चार लाख पचास हजार)	45000/- (पैतालीस हजार)
25	115(M)/2017	समेकित जाँच चौकी, रजौली पी०आर० नं०-07/2017	GLAMOR (मोटर साईकिल)	BR02A/C-1107	मद्य भण्डार नवादा	40000/- (चालीस हजार)	4000/- (चार हजार)
26	11(M)/2017	च०दल, नवादा पी०आर० नं०-125/2016	MAHINDRA KUV 100	BR52P/0338	मद्य भण्डार नवादा	350000/- (तीन लाख पचास हजार)	35000/- (पैतीस हजार)

### नीलामी की शर्तें

- उपरोक्त अधिहरित वाहनों के विरुद्ध अगर किसी न्यायालय में मामला दायर किया गया है या विचाराधीन है तो वैसे मामले में साक्ष्य के साथ सूचना वाहन मालिक को नीलामी समिति के समक्ष नीलामी की निर्धारित तिथि के पूर्व तक प्रस्तुत करना होगा।
- नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को तालिका में वर्णित वाहनों के सामने अंकित अग्रधन की राशि नीलामी की तिथि दिनांक 28.11.2017 के 10:30 बजे पूर्वाहन तक जिला नजारत, नवादा के कार्यालय में नगद/बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। निर्धारित तिथि को सभी वाहनों की नीलामी नहीं होने की स्थिति में शेष वाहनों की नीलामी दिनांक 29.11.2017 एवं 30.11.2017 को 11:00 बजे पूर्वाहन से निर्धारित स्थल पर की जाएगी। बाद की तिथियों में डाक में भाग लेने वाले डाककर्ता नीलामी की तिथि को 10:30 बजे पूर्वाहन तक जिला नजारत, नवादा में अग्रधन की राशि जमा कर सकते हैं।
- नीलामी में सफल व्यक्ति का अग्रधन नीलामी की तय राशि में समायोजित कर ली जायेगी।
- बिहार वित्त नियमावली खण्ड I, नियम 144 (4) के आलोक में यदि कोई बोली स्वीकार की जाती है तो सफल बोलीकर्ता को बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) (जो बोली मूल्य के 25 प्रतिशत से कम नहीं हो) तुरन्त उसी स्थान पर जमा करना होगा।
- नीलामी में सफल व्यक्तियों को नीलामी की शेष राशि नीलामी के दो कार्यदिवसों के भीतर जिला नजारत कार्यालय, नवादा में जमा करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर, नीलामी द्वितीय नम्बर पर आने वाले वक्ता को दी जायगी। द्वितीय नम्बर पर आने वक्ता द्वारा नीलामी स्वीकार नहीं किए जाने पर उस वाहन की नीलामी दोबारा की जाएगी।
- वाहन नीलामी समिति के अध्यक्ष द्वारा सफल क्रेता के नाम से वाहन का निबंधन कराने के निमित्त मात्र नीलामी कर दिये जाने का अधिकार पत्र निर्गत किया जाएगा। वाहन संबंधी कागजात बनाने की जिम्मेवारी नीलामी प्राप्त करने वाले क्रेता की होगी। यदि किसी बैंक (सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा प्राइवेट) अथवा वित्तीय संस्थान से नीलामी के पूर्व तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती है तो वाहन को सभी प्रकार का भार (Free of all encumbrances) से मुक्त मानते हुये नीलामी की जाएगी। नीलामी की न्यूनतम राशि में किसी प्रकार का कर समाहित नहीं है। नीलामी में सफल क्रेता को नियमानुकूल सभी देय करों का भुगतान करना होगा।
- "नीलामी जो है, जहाँ है, जैसा है," के आधार पर किया जायेगा तथा किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
- इच्छुक व्यक्ति संबंधित वर्णित स्थलों पर जाकर वाहनों को देख सकते हैं।
- अधिकतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को ही पूर्ण भुगतान के आधार पर वाहन दिया जाएगा।
- किसी भी वाहन या सभी वाहनों की नीलामी बिना कारण रद्द करने की शक्ति वाहन नीलामी समिति के पास सुरक्षित होगी।
- विशेष जानकारी के लिए अपर समाहर्ता-सह-पी० जी० आर० ओ०, नवादा एवं कार्यालय अधीक्षक उत्पाद, नवादा से सम्पर्क किया जा सकता है / [nawada.bih.nic.in](http://nawada.bih.nic.in) पर देखा जा सकता है।

  
अधीक्षक उत्पाद,  
नवादा।



  
समाहर्ता  
-सह-  
जिला दण्डाधिकारी,  
नवादा।